

युवा आक्रोश पर धार्मिकता पर प्रभाव

DR. BINDA RAM
Associate Professor
Jiwachh College, Motipur
B.R.A.Bihar University, Muzaffarpur

MUNINDRA KUMAR BHARTI
M.A. IN PSYCHOLOGY
MUZAFFARPUR

भूमिका -

युवा आक्रोश आज के युव की एक ज्वलंत समस्या है जिससे न केवल भारतवर्ष वरन् विश्व का प्रत्येक देश न्येनाधिक स्प से प्रभावित हो रहा है। साथ ही यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल विश्वविद्यालय परिसर को प्रभावित करती है वरन् जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। विश्व विद्यालय परिसर में उत्पन्न युवा आक्रोश केवल उसी परिसर तक ही सीमित नहीं रहा जाता है बल्कि यह समाज के हर श्रेणी को प्रभावित किय बिना नहीं रहता है। आये दिन किसी भी समाचार-पत्र को उठा लीजीये निश्चित रूप से उसकी सुर्खी में किसी न किसी ऐसे ही समाचारों की प्रधानता देखने को मिल जाती है। कोई भी शैक्षणिक संस्था ऐसी नहीं है जिसमें पूरे साल ज्ञांतिपूर्ण ढंग से पढाई लिखाई का काम हो पाता हो। इसके साथ ही कोई भी विश्व विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें छात्र-आक्रोश के कारण हुए तोड़-पोड़ का शिकार न केवल विश्वविद्यालय कार्यलय या विश्वविद्यालय सम्पत्ति को ही होता है बल्कि इसका शिकार किसी भी समय कोई भी सरकारी सम्पत्ति हो जाती है जिसके वजट से होने वाले धाटे से पूरा समय कोई भी सरकारी सम्पत्ति हो जाती है जिसके वजट से होने वाले धाटे से पूरा समाज प्रभावित हो जाती है। परिक्षा के समय में आशांति का वातावरण, परीक्षा की तिथि निर्धारण के लिये नारेवाजी, परीक्षा भवन में भ्रष्ट तरीकों के प्रयोग की छूट के लिये हंगामा, छात्रावासों की विभिन्न समस्याएँ इत्यादि कुछेक ऐसी ज्वलंत समस्याएँ हैं जिनका स्थायी निराकरण न संभव हो पाता है और न कोई भी इसका स्थायी

समाधान चाहता ही है तब फलतः ये समस्यायें रक्तबीज की भाँति विश्वविद्यालय परिसर को आक्रांत कियें रहती है तथा सरकार एवं विश्वविद्यालय की सारी संरचना इन्हीं समस्यायों के चारों ओर धूमती रहती है और शैक्षणिक वातावरण तो मात्र एक सैद्धान्तिक सत्य ही प्रतीत होता है जिसका प्रयोग मात्र राजनैतिक उद्देश्यों से ही किया जाता है।

युवा आक्रोश का अर्थ:-

इस शब्द का तात्पर्य बदलती हुई परिस्थितियों में अनेक अर्थों में की जाती रही है लेकिन वर्तमान शोध के दृष्टिकोण से इस शब्द की एक समुचित व्याख्या आवश्यक है। सर्वप्रथम “युवा” शब्द की परिभाषा आवश्यक है।

मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए हरलौक 1955 ने युवा उते कहा है जो बालपन समाप्त कर युवा है तथा विज्ञोरावस्था की सीमा में प्रवेश कर चुका है। उसमें बाल-सुलभ उच्छृंखलतायें समाप्त हो चुकी है तथा बुद्धि की पपिक्वता प्राप्त हो चुकी है। हरलौक की यह व्याख्या निश्चित रूप से अवस्था या उम्र पर आधारित व्याख्या है जो लगभग अठारह वर्षों के बाद की अवस्था को युवावस्था मानता है।

समाजशास्त्रीगणों का दृष्टिकोण बहुत कुछ मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भिन्न रखते हुए समाजशास्त्रियों की यह मानता है कि मात्र अवस्था ही युवा की समस्त परिभाषा नहीं निश्चित करती है हौलिंगसीह 1965 के अनुसार युवा की परिभाषा उनके व्यवहार को आधार मानकर की जानी चाहिये, जिते कोई भी युवा समाज के साथ अपने अभियोजन को व्यवस्थित करने के लिये प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण स्पेन्सेकी 1959 का भी है जो युवा की सभ्यक् व्याख्या के लिये उनके मानता है। अतः इस दृष्टिकोण ते युवा नहीं कहा जा सकता है, जब तक उसकी व्यावहारिक परिपक्वता प्रमाणित नहीं हो जाती है।

इन विभिन्न मतान्तरों के बीच वर्तमान् सन्दर्भ में युवा की एक विशिष्ट परिभाषा निश्चित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान शोध का विषय विश्वविद्यालय परिसर की उग्रता का अध्ययन करना है। अतः इस सन्दर्भ में युवा का अर्थ ऐसे युवको से लिया गया है जो किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक कक्षा के छात्र है चाहे उनकी अवस्था जो भी हो। युवा का तात्पर्य स्नातक स्तरीय छात्र तथा छात्राओं दोनों से ही लिया गया है।

परिसर उग्रता की व्यख्यता भी कई अर्थों में की गई है। उग्रता का अर्थ यहाँ इस यहाँ सन्दर्भ में युवा-आक्रोश से लिया गया है। लेकिन आक्रोश की सही-सही परिभाषा करने के लिये भी इसे समानार्थक शब्दों से पृथक कर लेना आवश्यक है। अक्सर आक्रोश शब्द का अर्थ अनुशासहीनता से ले लिया जाता है लेकिन वास्तव में अनुशासन हीनता तथा आक्रोश ये दोनों ही शब्द दो अर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार 1974 ने इन दोनों ही शब्दों के भेद को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार अनुशासनहीनता आक्रोश का वाहय व्यवहारात्मक प्रदर्शन हो सकता है लेकिन आक्रोश हमेशा ही अनुशासनहीनता में प्रदर्शित नहीं होती है अतः ये दोनों समानार्थक नहीं है। आक्रोश मानसिक तनाव काप्रतिफल है जो समयानुसार आन्तरिक तथा वाहय दोनों ही हो सकता है जबकि दूसरा वर्ग तोड़-फोड़ का रास्ता अपना सकता है। किस समय इसका क्याल्पा होगा यह समय तथा परिस्थिति ही निर्धारित कर सकती है।

वाइजर 1969 ने अनुशासनहीनता का अर्थ युवावर्ग के ऐसे व्यवहार से लिया है जो सामाजिक मान्यवा परम्परागत तरीकों से भिन्न होता है। ऐसा व्यवहार किसी अधिकारी, संस्था या सरकार के विरुद्ध प्रदर्शित होता है तथ जिसकी परिणति सरकारी सम्मति के नुकसान के रूप में होती है।

विश्लेषणो से स्पष्ट है कि युवा आक्रोश का अर्थ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न रूपों में किया गया है। यहाँ परिसर उग्रता को युवा आक्रोश के समानार्थक व्यवहृत किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में युवकों के उन्हीं व्यवहारों हों - (क) यह एक अस्थायी शेष- प्रदर्शन हो।

(ख) अवतर यह किसी स्थायी या अस्थायी समत्या से सम्बन्धित हो।

(ग) यह व्यक्तिगत नहीं वरन् सामूहिक प्रदर्शन हो।

(घ) आक्रोश पूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से किसी न किसी अधिकारी के विरुद्ध उन्मुख हो।

(ङ) यह व्यवहार सामाजिक परम्परागत मान्य व्यवहार प्रणाली से भिन्न हो।

अतः युवा आक्रोश विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रदर्शित उस व्यवहार को कहा जायगा जो किसी समत्या से सम्बन्धित तथा प्रेरित होकर किसी अधिकारी वर्ग के विरुद्ध प्रदर्शित हो तथा सामाजिक मान्य नियमों का उल्लंघन करता हो।

चतुर्थ प्राक्कल्पना-

धार्मिकता एक विस्तृत शब्द है। इसके बहुआयामी अर्थ लिये जाते हैं। कभी धार्मिकता की अति विस्तृत व्याख्या की जाती है और कभी इसे अति सीमित दायरे में बाँधने की चेष्टा की जाती है। धार्मिकता को पारिभाषित करते हुये - (भूषण, 1970) ने कहा है कि धार्मिक व्यक्ति केवल वही नहीं है जो हमेशा किसी धार्मिक स्थलों पर जाता है या नियमित पूजा-पाठ करता रहता है वरन् यह एक दृढ़ आस्था का घोटक है जो किसी अदृश्य, असीम शक्ति के प्रति ऐक्य की भावना से जुड़ी होती है। उस अर्थ में धार्मिकता संप्रदायवाद से बिलकुल निम्न अर्थ रखती है। यह एक आस्था और विश्वास का घोटक है जो समस्त देवता को समदृष्टि प्रदान करता है। भूषण (1970) ने धार्मिकता के तीन पहलू बताये हैं। सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा संवेगात्मक। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से जो अपने को सतत् अपने इष्ट के करीब पाता है। अपने और इष्ट के बीच तादात्म्य की भावना रखता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से धार्मिक वो है जो अपने हर व्यवहार को इष्ट की आज्ञा मानता है और सभी जीवों के प्रति समभाव तथा समदृष्टि रखता है। संवेगात्मक दृष्टिकोण से धार्मिक वह है जिसके व्यवहार एवं भवनाएँ समग्र रूप से अपने इष्ट को

समर्पित हो। इस व्याख्या के आधार पर धार्मिकता को हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई इत्यादि के दायरे में नहीं बाँधा जा सकता निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि धार्मिक व्यक्ति के व्यवहार और विचार सन्तुलित होंगे। वह किसी भी सामाजिक समस्या के प्रति सन्तुलित दृष्टिकोण ही प्रकट करेगा तथा उग्रवादिता, हिंसा, तोड़पोड़ इत्यादि का विरोध करेगा। इस पृष्ठभूमि में—

यह प्राक् कल्पना की जाती है कि उच्च धार्मिक प्रवृत्ति के विश्वविद्यालय छात्रों में निम्न धार्मिक प्रवृत्ति के विश्वविद्यालय छात्रों की अपेक्षा छात्र-आक्रोश के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति पायी जायेगी।

धार्मिकता मापनी:-

व्यक्तित्व के धार्मिकता सम्बन्धी आयाम मापनी के लिये भूषण 1970 के द्वारा हिन्दी में निर्मित धार्मिकता मापनी का चयन किया गया भूषण के अनुसार धार्मिकता एक उच्च कोटि की मनोदशा है जो व्यक्ति को चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों न हो वह ऐक्य की भावना से देखने को प्रेरित करता है। धार्मिकता का अर्थ संकुचित रूप में न लिया जाय, जैसा कि सामान्य बोल-चाल की भाषा में उन सभी लोगों को धार्मिक कह दिया जाता है जो नित्य पूजा-पाढ़ करते हैं, या नमाज पढ़ते हैं या चर्च या गुलद्वारा में जाते हैं। सच्चे अर्थों में एक धार्मिक-व्यक्ति अपने इष्ट से हमेशा अपना सामीप्य माँगता है तथा प्रत्येक जीव में ईश्वर का बास माँगता है। धार्मिक व्यक्ति सहिष्णु, उदार, क्षमाशील होता है तथा दूसरो के लिये सर्वस्व की भावना से ओत-प्रोत होता है। वह शान्तिप्रिय होता है। दूसरी ओर एक अक्षीर्णिक व्यक्ति अनीश्वरवादी, अनुदार, तथा कूर हुआ करता है। वह प्रतिकार की भावना से परिरपूर्ण होता है।

भूषण 1970 के द्वारा हिन्दी में निर्मित धार्मिकता मापनी एक पाँच बिन्दु लीकट प्रणाली की मापनी है। इसमें प्रत्येक वक्तव्य के तामने पाँच, बिन्दु अंकित हैं। “पूर्णतः सहमत,” असंछिद्य “असहमत एवं पूर्णतः असहमत। इस मापनी में कुल वत्तीस वक्तव्य है। इनमें से कुछ वक्तव्य त्वीकारात्मक एवं

कुछ नकारात्मक है। स्वीकारात्मक वक्तव्य के “पूर्ण असहमत” प्रतिक्रिया के लिये एक अंक निर्धारित है। इसी तरह नकारात्मक वक्तव्यों के “पूर्ण सहमत” प्रतिक्रिया के लिये पाँच अंक निर्धारित है। इस मापनी के प्रति उच्चतम संभावित प्राप्तांक एक सौ अस्सी (180) और निम्नतम संभावित मात्र छत्तीस (36) की संभवना है। इस मापनी के प्रति उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले को धार्मिक व्यक्ति तथा निम्न अंक प्राप्त करने वाले को अधार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस मापनी की अर्द्धविच्छेद विश्वसनीयता गुणांक 69 तथा परीक्षण पुनर्परीक्षण गुणांक 78 बतायी गयी है। मापनी की वैधता के लिये ज्ञात समूह तूलना विधि के प्रयोग के आधार पर प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तर की साधकता (टी-8.47) .001 स्तर पर प्रमाणित है। इस मापनी के कुल वक्तव्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 एवं 36 स्वीकारात्मक वक्तव्य है जिनके प्रति “पूर्ण सहमत” प्रतिक्रिया के लिये पाँच अंक निर्धारित है तथा वक्तव्य संख्या 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 27, 29, 34, एवं 35 नकारात्मक वक्तव्य है जिनमें से प्रत्येक के प्रति “पूर्ण सहमत” प्रतिक्रिया के लिये एक अंक निर्धारित है। इस मापनी की एक प्रति परिशिष्ट संख्या है में संलग्न हैं।

प्रतिदर्श-

शोक का मूल उद्देश्य छात्र-आक्रोश के प्रति विश्वविद्यालय छात्रों की मनोवृत्ति का अध्ययन उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं कतिपय व्यक्तित्व सम्बन्धी चारों के संदर्भ में करना था। यह अध्ययन बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के स्नातक कक्षा के 300 छात्र-छात्राओं पर किया गया (2) बिहार विश्वविद्यालय के यथासंभव अधिक से अधिक महाविद्यालयों से तीन सौ स्नातक छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिये चुना गया।

(क) प्रयोज्यों की योग्यता को प्रतिदर्श में किया गया।

(4) प्रतिदर्श में क्षेत्रीय दोष को दूर करने के लिये बिहार विश्वविद्यालय के शहरी एवं देहाती दोनों ही क्षेत्रों के करीब-करीब बराबर-बराबर छात्रों को चुना गया। (5) तीन सौ छात्रों का चयन इस प्रकार से किया गया कि उनमें आधे लड़के एवं आधी संख्या लड़कियों की थी। (6) प्रतिदर्श के चुनाव में किसी भी पूर्व धारण को स्थान नहीं दिया गया। (7) प्रयोज्यों की आयु-सीमा 19 से 24 वर्षों के बीच रखी गयी। (8) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों ही संकायों से छात्रों का चयन किया गया। (9) छात्रों के चयन में आवासीय दृष्टिकोण भी रखा गया। अतः घर से आने वाले छात्र दोनों ही समूहों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया।

व्यक्तित्व का धार्मिकता पर:-

प्रस्तुत शोध में वर्णित उद्देश की प्राप्ति हेतु बिहार विश्वविद्यालय के अधिकांश महाविद्यालय के तीन सौ छात्र-छात्राओं के प्रतिदर्श, जिसका वर्णन चतुर्थ अध्याय में हो चुका है, व्यक्तित्व के धार्मिकता पर की जनसंख्या में संभावित वितरण-प्रणाली को जानने के लिये भूषण (1970) के द्वारा हिन्दी में निर्मित एवं सत्यापित धार्मिकता मापनी जो एक पाँच बिन्दु की निकट प्रणाली पर आधारित मनोवृत्ति मापनी है, का चालन किया गया। इस मापनी है, का चालन किया गया। इस मापनी के आधार पर अधिकतम प्राप्तांक एक सौ अस्सी, न्यूनतम प्राप्तांकों का मध्यमान 123.00 मध्यांक 124.53 एवं बहुलांक 125.04 प्राप्त हुआ है। प्रतिदर्श के प्राप्तांकों के प्रसार तथा वितरण को रेखाचित्र द्वारा (रेखा चित्र संख्या पाँच) प्रदर्शित किया गया है। प्रतिदर्श से प्राप्त केन्द्रीय प्रवृत्ति मापों नीचे सारणी संख्या वह में स्पष्ट किया गया है-

सारणी संख्या -छः

मध्यमान - 1 2 3.0 0

मध्यांक - 1 2 4.5 3

बहुलांक - 1 2 5.0 4

प्रामाणिक विचलन - 8.8 0

मध्यमान की प्रा० त्रु० - .5 1

प्रथम चतुर्थांश - 1 1 2.6 0

तृतीय चतुर्थांश - 1 3 2.6 4

सारणी में वर्णित धार्मिकता मापनी के आधार पर वर्तमान प्रतिदर्श से प्राप्त प्राप्तांकों के परिणामों के तुलनात्मक विवेचन से निम्नलिखित बातों स्पष्ट होती हैं-

प्रतिदर्श से प्राप्त केन्द्रीय प्रवृत्ति के तीनों ही मापों मध्यमान मध्यांक तथा बहुलांक में इतनी निकटता तथा समानता है कि इस प्रतिदर्श को जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में निर्विवाद स्वीकार किया जा सकता है।

इस प्रतिदर्श के मध्यमान की प्रामाणिक त्रुटि .51 है जिसके आधार पर निम्नान्वये प्रतिशत विश्वास की सीमा में यह कहा जा सकता है कि प्रतिदर्श का मध्यमान जनसंख्या के मध्यमान से अधिक से अधिक 1.31 (.51X2.58) की सीमा में विचलन प्रतिदर्श कर सकता है अर्थात् इसकी विश्वसनीयता सीमा .01 है। इस तांख्यकीय विश्लेषण तथा रेखा चित्र से धार्मिकता चर के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

(क) वर्तमान प्रतिदर्श में धार्मिकता प्राप्तांको का वितरण, वास्तविक जनसंख्या के प्रसामान्य वितरण सिद्धान्त के अनुकूल है।

(ख) प्रतिदर्श का धार्मिकता मध्यमान जनसंख्या के वास्तविक मध्यमान से निकटता रखने के कारण प्रतिदर्श जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधि माना जा सकता है।

(ग) निष्कर्षों से यह प्रमाणित होता है कि व्यक्तित्व का धार्मिकता चर जनसंख्या में समान रूप से वितरित नहीं है अर्थात् यह प्रसामान्य

वितरण-सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण इसके एक छोड़ पर जहाँ उच्च धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वहीं उसके दूसरे छोड़ पर विवरीप दिशा में धार्मिकता में अविश्वास करने वाले व्यक्ति भी उसी अनुपात में विद्यमान हैं लेकिन एक बड़ी जनसंख्या इन दोनों ही बिन्दुओं के बीच पड़ती है।

Reference-

1. Altach, P.G. (Ed) 1968.- Turmoil and Transition. Higher Education and student's Politics in India. New York. Basic Book company June.
2. Astin, H.S. (1971)- Self perception of student Activists, Journal of college student personnel. July. vol. 12(4) 263-270.
3. Bhogle, A.D. (1965)- Case study of student strike, Journal of University Education.
4. Bhushan L.I. (1970)- Religiosity scale Ind. J. Psychol, 45 (4) 335-342.
5. Edwards, A.L. (1968)- Experimental Design in psychological Research (3rd) (end), New York: Hopt, Rinchart end winston Inc. (Indian edition).
6. Darbara Singhh 1946- The Indian struggle Lahore. Hore publications.
7. Freud (1894) – The Basic writings of sigmunal freud, the Modern library, New Yourk.
8. Gandhi Kirshore 1972.- Student unrest and university response, sunday, Fed. 13.
9. Garrette H.E. (1955) – Statistacsion in psychology and Education (Fourth edition) Longman, Crreen and Co. New York.

10. Kabir, H(1958) – Student Inrest tcauses and cure, P.10, Calcutta orient Book company.
11. kale, S.S. (1972) – Student unrest- Reasores, results, Remedics, Student serics Review. Vol. 10, No.2, p-17-22.